रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2014/श्रावण 1, 1936
No. 378] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2014/SHRAVANA 1, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 524(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो तो, उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने, नई दिल्ली–110003 को भेजें;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2014 है।

2. भाग XII (क) का अंतःस्थापन–वायुयान नियम, 1937 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), भाग XII–क और भाग XII–ख को क्रमशः भाग XII–ख और भाग XII–ग के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाए और यथा पुनसंख्यांकित भाग XII–ख से पूर्व, निम्नलिखित भाग को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''भाग XII–क–वैमानिक दूरसंचार

119. संचार, दिक्चालन और निगरानी उपस्कर या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं का प्रमाणन–(1) कोई व्यक्ति किसी संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन उपस्कर प्रसुविधाओं की स्थापना या प्रयोग का निमित नहीं बनेगा या अनुज्ञा नहीं देगा जब तक कि वह महानिदेशक द्वारा प्रमाणित न हो।

परन्तु, राष्ट्रीय संकट, प्राकृतिक आपदाएं, आपातकाल या प्रचालन के लिए अन्यथा अपेक्षित प्रसुविधाओं की स्थिति में, महानिदेशक, विमान यातायात सेवाओं के प्रचालन, वायुयान प्रचालन या दिक्चालन के प्रयोजनार्थ किसी प्रसुविधा के अस्थायी प्रयोग के लिए ऐसी शर्तें जिन्हें लागू करना वे उचित समझें, के अध्यधीन अनुमोदन दे सकते हैं।

परन्तु, यह और कि इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के प्रचालन की अनुज्ञा किसी व्यक्ति को पहले से ही दी गई है तो वह व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करने की तारीख से, महानिदेशक से प्रमाणपत्र प्राप्त करने तक, ऐसी सेवाओं का प्रचालन जारी रख सकता है।

2. इस नियम के उपबंध ऐसे किसी संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के बाबत स्थापना और प्रचालन पर लागू नहीं होंगे जो।

(क) सैन्य प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन है और मुख्यतः सैन्य प्रयोग के लिए हैं।

(ख) परीक्षण प्रयोजन के लिए है और विमानन यातायात सेवाओं के समर्थन के लिए प्रयुक्त नहीं है या वायुयान प्रचालन या दिक्चालन के लिए प्रयुक्त नहीं है।

3. इस नियम में कोई बात, भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 के 13) के उपबंधों तथा संचार, दिक्चालन, निगरानी के स्थापन या प्रचालन या विमान यातायात सेवाओं के लिए विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा और वैमानिक दूर संचार केन्द्र पर विमान प्रचालन के लिए इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान नहीं करेगी।

120. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अर्हता:— किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर, विमान यातायात सेवाओं या विमान प्रचालन के समर्थन में संस्थापित या प्रयुक्त होने वाले संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के लिए प्रमाणपत्र उसे प्रदान किया जा सकेगा जो—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ स्थापित कोई कंपनी या निगमित निकाय हो, या इस प्रयोजनार्थ महानिदेशक द्वारा अनुमोदित कोई विमान दिक्चालन सेवा प्रदाता हो।

(ख) उपकरण की मद प्रक्रिया की पूर्ति में अवतरण सहायक के रूप में मुख्यतः प्रयोग होने वाली दिक्चालन प्रसुविधा के लिए कोई हवाई अड्डा अनुज्ञप्ति धारक हो।

121. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रक्रिया:—(1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर, विमान यातायात सेवा या विमान प्रचालन या दिक्चालन के समर्थन में से स्थापित या प्रयुक्त होनी वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के प्रमाणीकरण के लिए कोई आवेदन, संचार, दिक्चालन और निगरानी निर्देशिका सहित महानिदेशक को दिया जा सकेगा।

(2) उप—नियम (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्रारूप और उसमें विशिष्टियों में होगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) महानिदेशक, आवेदन के निपटान के लिए, आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना जिन्हें वे आवश्यक समझें प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

(4) महानिदेशक, संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन सुविधा जिन्हें वे आवश्यक समझें को, किन्हीं शर्तों के अधीन प्रमाणित कर सकेंगे।

122. संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा निर्देशिका:— (1) प्रत्येक प्रमाणपत्र धारक के पास, अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में, संचार, दिक्चालन, निगरानी निर्देशिका होगी तथा धारक इन नियमों के अधीन प्रमाणित सभी संचार, दिक्चालन या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के बाबत प्रमाणपत्र धारक द्वारा निर्देशिका की अनुमोदित प्रति रखी जाएगी।

(2) निर्देशिका की एक प्रति या निर्देशिका के ऐसे भाग की प्रति जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए; प्रमाणपत्र धारक द्वारा सभी यूनिटों को उपलब्ध कराई जाएगी।

123. प्रमाणपत्र की विधि—मान्यता की अवधि:— महानिदेशक, किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं का प्रमाणन साठ मास से अनधिक अवधि के लिए प्रदान कर सकेंगें, और प्रत्येक अवसर पर चौबीस मास से अनधिक अवधि के लिए नवीकरण कर सकेंगें।

124. फीस:— (1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय नहीं कर दिया जाता है, अर्थात्:—

सारणी

(क)	**संचार प्रसुविधा**	**फीस रुपयों में**
(i)	प्रचालन में स्टैण्ड अलोन वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ट्रांसमीटर/रिसीवर, डिजिटल स्वचालित टर्मिनल सूचना प्रणाली, हाई फ्रीक्वेन्सी ट्रांसमीटर/रिसीवर डाटा लिंक्स (स्टैण्डबाई आवृति सहित)	50,000 (पांच आवृतियों तक 50,000 रुपए और उसके पश्चात् प्रत्येक आवृति के लिए 20,000 रु.)
(ii)	ओटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम एयर ट्रैफिक सर्विसेज मैसेज हैंडलिंग सिस्टम	50,000
(iii)	मास्टर क्लॉक सिस्टम	15,000
(iv)	वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ट्रांसमीटर/या रिसीवर, अंतः एकक संचार तथा क्षमता के लिए अन्य उपसाधन युक्त नियंत्रित ध्वनि प्रणाली से सज्जित केन्द्रः—	
	(क) 50 नियंत्रक कार्य केन्द्रों तक	50,000
	(ख) 50 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कार्य केंद्रों के लिए	5,000
(ख)	**दिक्चालन प्रणाली**	
(i)	गैर—निदेशात्मक बीकन/लोकेटर, मार्कर	50,000
(ii)	दूरी मापन उपस्कर	50,000
(iii)	वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ओमनी—रेंज/या डोपलर वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ओमनी—रेंज	1,00,000
(iv)	उपकरण अवतरण प्रणाली/दूरी मापन उपस्कर	2,00,000
(v)	को—लोकेटेड (वीओआर/डीवीओआर/डीएमई) वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी—रेंज	1,25,000
(ग)	**निगरानी प्रसुविधा**	
(i)	विमानपत्तन निगरानी राडार	2,00,000
(ii)	विमान मार्ग निगरानी राडार	2,00,000
(iii)	मोनोपल्स निगरानी द्वितीयक राडार	2,00,000
(iv)	सतह संचालन राडार विदाउट मल्टी लैटरेशन	2,00,000
(v)	आटोमेटिक डिपेंडेंट/सर्वेलन्स ब्रोडकॉस्टर या संपर्क	2,00,000
(घ)	**विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा**	
(i)	राडार डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, फ्लाइट डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक सेल्फ ब्रीफिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं से युक्त विमान यातायात प्रबंधन स्वचालन प्रणाली।	10,00,000

(ii)	एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडैंस कंट्रोल सिस्टम (सर्विलांस एण्ड मल्टी लैटरेशन कंपोनेंट्स)	3,00,000
(ङ.)	ग्राउण्ड बेस्ड ऑगमेंटेशन, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन तथा अन्य संगठन जैसी कोई अन्य भावी दिक्चालन या विमान यातायात प्रबंधन प्रणाली।	केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए।

(2) वैमानिक दूरसंचार स्टेशन पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के संबंधी प्रमाणन के नवीकरण के लिए फीस उप–नियम (1) के अधीन देय फीस का पचास प्रतिशत होगी।

(3) फीस का संदाय वेतन एवं लेखा अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में लिखे गए मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

125. प्रमाणपत्र प्रदान करने को प्रभासित करने वाली भार्तें.–(1) वैमानिक दूरसंचार स्टेशन पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा प्रमाणपत्र ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकेगा या नवीकृत किया जा सकेगा जिन्हें महानिदेशक अभिसमय तथा विमान यातायात सेवाओं, या विमान प्रचालन या दिक्चालन की सुरक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझें।

(2) प्रमाणन प्रवृत्त करते समय, महानिदेशक के पूर्ववर्ती अनुमोदन के सिवाय अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जिनकी अपेक्षा की गई है, से भिन्न उपकरण या संरूपण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ऐसे अनुमोदन पत्र का आवेदन महानिदेशक को संबोधित किया जाए जिसके साथ ऐसे परिवर्तन की पूरी विशिष्टियां भेजी जाएं।

(3) आवश्यक अनुमोदन तभी प्रदान किया जा सकेगा या विधारित किया जा सकेगा जब वह ऐसी शर्तों, जो महानिदेशक आवश्यक समझें के अधीन प्रदान किया जा सकता है।

(4) प्रमाणपत्र धारक विमान यातायात सेवाओं या वायुयान प्रचालन या दिक्चालन द्वारा उपयोग के लिए प्रमाणपत्र के प्रावधान के अनुसार मरम्मत योग्य स्थिति में वैमानिक दूरसंचार केन्द्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा को बनाए रखेगा।

126. प्रसुविधा की उपलब्धता संबंधी अधिसूचना.–वैमानिक दूरसंचार केन्द्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं का प्रभारी व्यक्ति ऐसी प्रसुविधा या कोई सेवा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में विमान यातायात सेवाओं या विमान प्रचालन और दिक्चालन द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है, प्रकार और उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

127. दिक्चालन सामग्री की प्रचालनात्मक स्थिति संबंधी सूचना.–रेडियो दिक्चालन सामग्री को प्रचालित करते समय प्रमाणपत्र धारक द्वारा इसके प्रचालनिक स्थिति से संबंधित सूचना संबंधित विमान यातायात सेवा एकक को उपलब्ध कराएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:–

(i) उस विमान क्षेत्र जहां रेडियो दिक्चालन सामग्री स्थित है, के लिए सेवाएं, और

(ii) वह रेडियो दिक्चालन सामग्री जिसका उपयोग मार्गस्थ सेवाओं के लिए किया जाता है।

128. ध्वनि संचार, संकेत एवं आंकड़ों की स्वचालित रिकार्डिंग .– (1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर कोई संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित प्रसुविधा के प्रमाणपत्र का धारक संदेश, ध्वनि संचार, संकेत और उपकरण के माध्यम से भेजे गए या प्राप्त किए गए आंकड़ों को रिकार्ड करने और दुबारा प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा और ऐसे आंकड़ों को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, में रखेगा।

(2) उप–नियम (1) के अनुपालन में रिकार्डिंग के लिए यदि कोई प्रसुविधा उपलब्ध है तो उक्त उप–नियम द्वारा अपेक्षित विषयों की रिकार्डिंग नहीं की जा सकेगी अतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासाध्य शीघ्रता से निम्नलिखित का रिकार्ड लिखित रूप में रखा जाएगाः–

(क) वैमानिक दूरसंचार केन्द्र विमान यातायात नियंत्रण यूनिट द्वारा वायुयान के बीच हुई बातचीत का संक्षिप्त विवरण; और

(ख) अन्य वैमानिक दूरसंचार केन्द्र के साथ हुई बातचीत, संदेश।

(3) उप–नियम (1) के अनुसार उपलब्ध कराई गई रिकार्डिंग की कोई प्रसुविधा मरम्मत योग्य नहीं हो पाती है, तो वैमानिक दूरसंचार केन्द्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा प्रभारी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि यंत्र जहां तक हो सके उपयुक्त समय में मरम्मत योग्य कर दिया जाएगा।

(4) वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा का प्रभारी व्यक्ति वह तारीख जिसको निबंधन या संदेश, आंकड़ों या संकेत के प्रयोजन या ऐसी दीर्घकालिक अवधि जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के प्रयोजन के लिए उपलब्ध करा सकेगा।

(5) वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा का प्रभारी व्यक्ति अन्वेषण अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा रिकार्ड प्रस्तुत करेगा।

129. वैमानिक दूरसंचार उपस्कर अंशशोधन और जांच .— (1) प्रमाणपत्र धारक महानिदेशक द्वारा विहित विनिर्देशन के अनुसार उपस्कर को अंशशोधित करने की प्रक्रिया तैयार करेगा।

(2) प्रमाणपत्र धारक किसी वैमानिक दूरसंचार उपस्कर की प्रचालन दशा की जांच करेगा और ठीक तरीके से लेखबद्ध करेगा जिसका उपयोग किसी दुर्घटना या गंभीर घटनाग्रस्त विमान के विषय में किया जा सकेगा और ऐसे अभिलेख को अन्वेषण के प्रयोजन के लिए उपलब्ध करा सकेगा।

(3) दिक्चालन प्रसुविधाओं का हवाई अंशशोधन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा किया जाएगा।

130. विमान यातायात सेवाकाल :— (1) विमान यातायात सेवा एकक में घंटा, मिनट और सेकेण्ड दर्शाने वाली घड़ियां होंगी।

(2) समन्वित सर्वव्यापी समय के 30 सेकेण्ड ज्यादा या कम होने की स्थिति में समय की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए घड़ियों तथा अन्य टाइम रिकार्डिंग डिवाइसों की आवधिक जांच की जाएगी।

(3) जहां कहीं विमान यातायात सेवा एकक द्वारा डाटा लिंक संप्रेषणों का उपयोग किया जाता है, वहां समन्वित सर्वव्यापी समय के 1 सेकेण्ड के भीतर समय की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए घड़ियों तथा अन्य टाइम रिकार्डिंग डिवाइसों की आवधिक जांच की जाएगी।

(4) सही समय किसी मानक समय केन्द्र, या यदि संभव न हो, तो किसी अन्य एकक जिसने ऐसे केन्द्र से समय प्राप्त किया है, से प्राप्त किया जा सकेगा।

131. नाजुक तथा संवेदन□ील क्षेत्रों का संरक्षण :— उपस्कर की प्रचालन दक्षता के संरक्षण के लिए अपेक्षित वैमानिक प्रसुविधा के आस—पास का कोई नाजुक तथा संवेदनशील क्षेत्र वह होगा—

(क) जो वैमानिक प्रसुविधा के लिए स्थलाकृतियों पर स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो;

(ख) जो स्थल पर समुचित सूचनापट्टों से संरक्षित हों; और

(ग) जो हवाई अड्डा प्रचालक या प्रमाणपत्र धारक, द्वारा यथोचित संरक्षित हो, बैरियर या अन्यथा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि स्थल निर्बंधनों का किसी रूप में अतिलंघन नहीं किया जाता है।

132. प्रमाणपत्र का निलंबन, रद्दकरण या प्रत्याहरणः—

(1) महानिदेशक प्रमाणपत्र धारक को लिखित रूप में सूचना देकर, कोई शर्त अधिरोपित कर सकते हैं या प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकते हैं यदि उनके पास विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि :—

(क) ऐसी कोई शर्त भंग हुई है जो प्रमाणपत्र को प्रभावित करती है;

(ख) विमान यातायात सेवाएं या विमान दिक्चालन की सुरक्षा के हित में प्रसुविधाएं, प्रचालन या अनुरक्षण आवश्यक स्तर के नहीं हैं।

(2) महानिदेशक किसी प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करने से पहले प्रमाणपत्र धारक को यह कहते हुए कारण बताओ नोटिस देंगे—

(क) वे तथ्य तथा परिस्थितियां जो निलंबन और रद्दीकरण को न्यायोचित ठहराते हैं; और

(ख) प्रमाणपत्र धारक को कह सकते हैं कि कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, लिखित रूप में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(3) महानिदेशक, निर्णय लेने से पूर्व सभी तथ्यों पर विचार करेंगे और समुचित आदेश पारित करेंगे।

(4) यदि कोई प्रमाणपत्र धारक प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना चाहता है तो, वह तारीख जिसको धारक ने प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना चाहा है, लिखित रूप में साठ दिन से अन्यून नोटिस देगा।

3. अनुसूची IV का अन्तःस्थापन — उक्त नियम में, अनुसूची III के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाए; अर्थात्:—

"अनुसूची IV

वैमानिक दूरसंचार

अनुभाग क

प्रमाणीकरण के लिए सामान्य अपेक्षाएं

1. **वैमानिक प्रसुविधा अपेक्षाएं** :– (1) किसी वैमानिक दूरसंचार केंद्र पर संस्थापित की जाने वाली या प्रयुक्त होने वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के प्रमाणीकरण के लिए आवेदक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया संस्थापित करेगा कि –

(i) आरंभ करने से पूर्व आवेदक के प्रमाणपत्र में शामिल करने के लिए आशयित प्रत्येक प्रसुविधा –

(क) उस प्रसुविधा के लिए विनिर्दिष्ट लागू प्रचालनात्मक विनिर्देशन की पूर्ति के लिए बनाई गई है और प्रतिष्ठापित की गई है;

(ख) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट और लागू प्रणाली विशिष्टताओं और विनिर्देशन मानक के अनुरूप हैं;

(ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रचालन अनुज्ञप्ति आबंटित की गई हैं; और

(घ) एक पहचान कोड या कॉल चिन्ह आबंटित किया गया है।

(ii) आवेदक के प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध प्रत्येक प्रसुविधा समुचित विद्युत आपूर्ति से लगाई गई है और जो विमान यातायात सेवा की आवश्यकताओं के लिए समुचित प्रचालन या समर्थन कर रही रेडियो दिक्चालन सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने से अभिप्रेत है; और

(iii) किसी वैमानिक दूरसंचार केन्द्र पर संस्थापित या प्रयुक्त की जाने वाली संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा के प्रमाणीकरण के लिए कोई आवेदक, जो स्थल परीक्षण करने के लिए अस्थायी वैमानिक सुविधा प्रचालित करने का आशय रखता है, उसे उक्त परीक्षण कराने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगा।

2. **संचार, दिक्चालन, निगरानी निर्देि□का** :– संचार, दिक्चालन, निगरानी निर्देशिका में सुसंगत सूचना के अतिरिक्त किसी अन्य निम्नलिखित सूचना और विवरण निहित होंगे, अर्थात्:–

(क) सामान्य :– सामान्य सूचना के अन्तर्गत निर्देशिका का प्रयोजन और कार्यक्षेत्र, प्रमाणपत्र धारक का प्रबंधन और संगठन ढांचा, संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा, के प्रमाणीकरण की विधिक अपेक्षा, प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए शर्तें, प्रसुविधा की स्थिति के संबंध में सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए वैमानिक सूचना प्रणाली की उपलब्धता है।

(ख) कार्मिकों की अपेक्षा :– (i) आवेदक के प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध प्रत्येक सेवा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित, सक्षम, निरन्तर तथा शास्वत रीति में प्रवीण कार्मिकों ने समुचित विवरण और प्रसुविधाओं के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कार्मिकों की संख्या को नीति के अनुसार निर्देशिका में समुचित रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ii) प्रसुविधा के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए या प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध किसी प्रसुविधा को प्रचालन सेवा में रखने के लिए प्रवीण कार्मिकों को नियोजित करने या प्राधिकृत करने की प्रक्रिया को प्रणाली में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(क) प्रवीण कार्मिकों की सक्षमता का मूल्यांकन;

(ख) प्रवीण कार्मिकों की निरंतर सक्षमता को बनाए रखना; और

(ग) प्रवीण कार्मिकों के लिए प्राधिकार की परिधि।

(ग) संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधाओं के मानक :– (i) डिजाइन, प्रतिष्ठापन, आरंभ और परीक्षण, प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी तकनीकी मानकों के विवरण जो प्रसुविधा के लिए लागू है।

(ii) इसके अंतर्गत विनिर्माता द्वारा ऐसी प्रसुविधा के लिए विनिर्दिष्ट कोई मानक भी होगा।

(iii) जहां संगत मानक का अनुपालन नहीं किया गया है, वहां अनुपालन न करने के कारण का विवरण एवं प्रसुविधा के निष्पादन के रूप में उपलब्ध सेवा पर इसका प्रभाव तथा विमान यातायात सेवाओं और विमान प्रचालन पर इसके प्रभाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(घ) तकनीकी प्रसुविधा का विवरण :– संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा प्रत्येक के लिए मूल निष्पादन विवरणकर्ता (कार्यात्मक विनिर्देशन)।

(ड.) प्रचालन और अनुरक्षण योजना :– विनिर्माता द्वारा अपेक्षित प्रसुविधा के प्रलेखीकरण, अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा सुसंगत दस्तावेज या प्रत्येक प्रसुविधा के कार्य निष्पादन एवं अनुरक्षण अपेक्षाओं के अपने ज्ञान पर आधारित प्रमाणपत्र के धारक द्वारा विकसित या परिवर्तित दस्तावेज सहित संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा प्रत्येक के लिए प्रचालन और अनुरक्षण योजना।

(च) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :– व्यवस्थित और समुचित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संबंधी सूचना यह सुनिश्चित करेगी कि संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा उपलब्ध कराने में सुरक्षा बरती गई है।

(छ) उपस्कर परीक्षण :– (i) उपस्कर के परीक्षण तथा मापन के विवरण इसके अंतर्गत भी है जो अंशशोधन स्थिति सहित, इसकी सभी प्रसुविधाओं के प्रचालन, निष्पादन, निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है।

(ii) प्रसुविधा प्रचालन और अनुरक्षण योजना या प्रत्येक प्रसुविधा के लिए प्रचालन और अनुरक्षण अनुदेशों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रचालन एवं अनुरक्षण के प्रत्येक स्तर के लिए उपस्कर का परीक्षण आवश्यक है।

(ज) सेवा में व्यवधान :– यदि संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा बाधित होती है, तो प्रक्रिया के ब्यौरे का उपयोग किया जाए।

(झ) प्रक्रियाएं :– प्रतिष्ठापन, प्रचालन, अनुरक्षण से संबंधी सभी क्रियाकलापों को संचालित करने की प्रक्रिया और संचार, दिक्चालन एवं संबंधित प्रत्येक के उत्तरदायित्व व जवाबदेही का स्पष्ट रूप में उल्लेख करते हुए अन्य मामलों की प्रक्रिया।

(ट) परिवर्तन के लिए प्रक्रिया :– (i) प्रसुविधा, इसके प्रचालन और अनुरक्षण योजना के लिए की जाने वाली प्रक्रिया।

(ii) प्रक्रिया परिवर्तन प्रमाणपत्र धारक की परिधि में एक यथोचित प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रक्रिया और प्रचलनात्मक सेवा की प्रसुविधाओं को समाप्त करने या वापसी के लिए कोई परिवर्तन करने का मूल्यांकन तथा प्राधिकृत कर सकेगा।

(iii) प्रचालन निर्देशिका सहित लाजिस्टिक सेवा सहयोग तथा संगत दस्तावेज का संशोधन।

(ठ) दस्तावेज नियंत्रण :– निर्देशिका सेवा प्रमाणपत्र में धारक के दस्तावेज की नियंत्रण प्रक्रिया जो इस संबंध में संबंधित अपेक्षाएं हैं, का उल्लेख होगा।

(ड) गुणता नियंत्रण :– कार्मिकों के उपयोग एवं मार्गदर्शन के लिए संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन प्रसुविधा उपलब्ध कराने और उस संगठन के कार्यकलापों से संबंधित नीतियों, प्रक्रिया, पद्धति की सूचना संबंधी ब्यौरे।

(ढ) सुरक्षा :– (i) प्रमाणपत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वैमानिक दूरसंचार केन्द्रों पर उपस्कर की सुरक्षा और प्रतिष्ठापन के लिए समुचित उपाय कर दिए गए हैं।

(ii) हवाई अड्डे के बाहर स्थित वैमानिक दूरसंचार केन्द्रों की समुचित सुरक्षा के लिए बाड़ भी लगाई जाएगी।

4. अनुसूची VI का संशोधन– अनुसूची VI में, प्रवर्ग IV में, क्रम सं. 22, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात :–

''22 क	महानिदेशक द्वारा प्रमाणित किए बिना संचार, दिक्चालन, निगरानी या विमान यातायात प्रबंधन उपस्कर की कोई प्रसुविधा की अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा प्रदान करवाने के लिए	नियम 119 का उप–नियम (1)
22 ख	नियम 125 के उप–नियम (2) के उपबंधों का उल्लंघन	नियम 125 का उप–नियम (2)''

[ए. वी.11012/5/2011–ए]

अनिल श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:– मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं–वी–26 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 3 फरवरी, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में तारीख 3 फरवरी, 2012 की सा.का.नि. सं. 64 (अ) द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2014

G.S.R. 524(E).–The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objection or suggestion, if any, may be sent to the Director General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, and New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. Short title and commencement.–These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2014.

2. Insertion of Part XII-A. – In the Aircraft Rules, 1937(hereinafter referred to as the said rules), Part XII-A and Part XII-B shall be renumbered as Part XII-B and Part XII-C respectively, and before Part XII-B as so renumbered, the following Part shall be inserted, namely:-

"PART XII-A– AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION

119. Certification of communication, navigation and surveillance equipment or air traffic management facilities .– (1) No person shall permit or cause to be permitted any communication, navigation, surveillance or air traffic management equipment facilities to be established or used unless it has been certified by the Director-General:

Provided that the Director-General may approve a facility for temporary use subject to such conditions as he may deem fit to impose, for the purpose of operation of air traffic services or aircraft operation or navigation in the event of national crisis, natural calamities, emergencies or otherwise requiring operation of such facilities:

Provided further that any person already permitted and operating communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station before the commencement of these rules may continue operation of such services till he obtains the certificate from the Director-General by the date to be notified by the Central Government.

(2) Provisions of this rule shall not apply in respect of any communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, whose establishment and operation –

(a) is under the control of military authorities and is primarily for the military use.

(b) is for test purposes and not used for supporting air traffic services or not used for aircraft operation or navigation.

(3) Nothing in this rule shall exempt any person from the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and the rules made thereunder for establishment and operation of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility for air traffic services and aircraft operation at an aeronautical telecommunication station.

120. Eligibility for grant of Certificate.– A certificate for Communication, Navigation, Surveillance or Air Traffic Management facilities to be established or used at an Aeronautical Telecommunication Station in support of Air Traffic Services or aircraft operation shall be granted –

(a) to a company or a body corporate set up for the purpose of providing communication navigation, surveillance or air traffic management facility by the Central Government or to an air navigation service provider approved for the purpose by the Director-General.

(b) to an aerodrome licence holder for establishing a navigational facility primarily for use as landing aid to support instrument let down procedure.

121. Procedure for grant of Certificate .– (1) An application for the certification for communication, navigation, surveillance or air traffic management facility to be established or used at an aeronautical telecommunication station in support of air traffic service or aircraft operation or navigation shall be made to the Director-General along with the Communication, Navigation and Surveillance Manual.

(2) The application under sub-rule (1) shall be in such form and contain such particulars as may be specified by the Director-General.

(3) The Director-General may, for disposal of the application, require the applicant to furnish any additional information which he considers necessary.

(4) The Director-General shall certify a communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, subject to any conditions as may be considered necessary.

122. Communication, navigation, surveillance or air traffic management facility manual .– (1) Every holder of certificate shall have a Communication, Navigation Surveillance Manual in the form as specified in Schedule IV and approved copy of the manual shall be maintained by the holder of certificate in respect of all communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities, certified under these rules.

(2) A copy of the manual or such part of the manual as may be specified by the Director-General shall be made available by the holder of certificate to all units.

123. Period of validity of Certificate.–The Director General may grant the certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an Aeronautical Telecommunication Station for a period not exceeding sixty months, and on each occasion may be renewed for any period not exceeding twenty four months.

124. Fee .– (1) No certificate of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an Aeronautical Telecommunication Station shall be granted unless there shall be paid the fees specified in the following Table, namely:—

TABLE

(A)	**Communication Facility**	**Fee in rupees**
(i)	Standalone Very High Frequency Transmitter or Receiver, Digital Automatic Terminal Information System, High Frequency Transmitter or Receiver, Data Links (including standby frequency) in operation.	50,000 (Rs 50,000 up to five frequencies, then Rs. 20,000 for each frequency)
(ii)	Automatic Message Switching System Air Traffic Services Message Handling System	50,000
(iii)	Master Clock System	15,000
(iv)	Stations equipped with Voice Controlled Communication System with Very High Frequency Transmitter or Receiver, High Frequency Transmitter or Receiver, inter unit communication and other accessories for capacity :—	

		(a) Up to 50 Controller work stations	50,000
		(b) for each additional work stations above 50	5,000
(B)		**Navigation Systems**	
	(i)	Non-Directional Beacon or Locator, Marker	50,000
	(ii)	Distance Measuring Equipment	50,000
	(iii)	Very High Frequency Omni-Range or Doppler Very High Frequency Omni-Range	1,00,000
	(iv)	Instrument Landing System or Distance Measuring Equipment	2,00,000
	(v)	Co-located (VOR/DVOR/DME)	1,25,000
		Very high frequency omni range	
(C)		**Surveillance Facility**	
	(i)	Airport Surveillance Radar	2,00,000
	(ii)	Air Route Surveillance Radar	2,00,000
	(iii)	Monopulse Surveillance Secondary Radar	2,00,000
	(iv)	Surface Movement Radar without multi-lateration	2,00,000
	(v)	Automatic Dependent Surveillance- Broadcast or Contact	2,00,000
(D)		**Air traffic management facility**	
	(i)	Air traffic management automation system with facilities like Radar Data Processing system, Flight Data Processing system, Automatic Self Briefing System	10,00,000
	(ii)	Advanced Surface Movement Guidance Control System (Surveillance and Multi-lateration components)	3,00,000
(E)		Any other futuristic navigational or air traffic management system service like Ground Based Augmentation System, Satellite Based Augmentation and other organisation.	To be decided by the Central Government.

(2) The fee for renewal of certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall be fifty per cent of the fee payable under sub-rule (1).

(3) The fee shall be paid by Demand Draft drawn in favour of the Pay and Accounts Officer, Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, New Delhi.

125. Conditions governing the grant of Certificate.– (1) Certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall be granted or renewed subject to such conditions as the Director-General considers necessary to ensure compliance with the Convention and the safety of Air Traffic Services or aircraft operation or navigation.

(2) While certification is in force, except required for the purpose of maintenance, no change in the system of equipment or configuration, shall be undertaken save with the previous approval of the Director-General and application for such approval shall be addressed to the Director-General which shall be accompanied with full particulars of such change.

(3) The necessary approval may be granted or withheld and if granted may be granted subject to such conditions as the Director-General may consider necessary.

(4) The holder of the certificate shall maintain communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station in a serviceable state as per the provision of certificate for use by air traffic services or aircraft operation or navigation.

126. Notification on availability of facility .– The person in charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities at an aeronautical telecommunication station shall notify type and availability of facility or any service which is available for use by air traffic services or aircraft operation and navigation in the manner specified by the Director-General.

127. Information on the operational status of navigational aids .– While a radio navigation aid is in operation, information on its operational status shall be made available by the holder of the certificate to the concerned Air Traffic Services unit giving the following details, namely:—

(i) services for the aerodrome where the radio navigation aid is located; and

(ii) en-route services using that radio navigation aid.

128. Automatic recording of voice communications, signal and data .– (1) The holder of certificate of any communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station and any associated facility required thereto shall, make provision for recording and replaying the messages, voice communication, signals and data transmitted or received through equipment and maintain such records for such period and in such manner as may be specified by the Director-General.

(2) If any recording facility provided in compliance with sub-rule (1) ceases to be capable of recording the matters required by that sub-rule, it shall be ensured that, as far as practicable, a record of the following is kept in writing —

(a) a summary of voice communications exchanged between the Aeronautical Telecommunication Station and aircraft by Air Traffic control unit; and

(b) voice communication, message exchanged with other Aeronautical Telecommunication Station.

(3) If any recording facility provided in accordance with sub-rule (1) becomes unserviceable, the person in charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an Aeronautical Telecommunication Station shall ensure that the apparatus is rendered serviceable again as soon as possible in reasonably practicable time.

(4) The person in charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an Aeronautical Telecommunication Station shall preserve record for a period of thirty days from the date on which the terms or content of the message, data or signal were recorded for the purpose of investigation or for such longer period as may be specified by the Director-General.

(5) The person in charge of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility at an aeronautical telecommunication station shall produce such record to investigating official or to any other person authorised by Director-General.

129. Aeronautical telecommunication equipment calibration and check .– (1) The holder of certificate shall establish a procedure for calibration of the equipment in accordance with the specifications laid down by the Director-General.

(2) The holder of certificate shall check and accurately record the operating condition of any aeronautical telecommunication equipment that may have been used by an aircraft involved in an accident or serious incident and make such record available for the investigation purpose.

(3) The air calibration of navigation facilities shall be carried out by an entity approved by the Director General.

130. Time in Air Traffic Services.–(1) Air traffic service units shall be equipped with clocks indicating the time in hours, minutes and seconds.

(2) Clocks and other time recording devices shall be checked periodically to ensure correctness of time to within plus or minus 30 seconds of coordinated universal time.

(3) Wherever data link communications are utilized by an Air Traffic Services unit, clocks and other time-recording devices shall be checked periodically to ensure correctness of time within 1 second of coordinated universal time.

(4) The correct time shall be obtained from a standard time station, or if not possible, from another unit which has obtained time from such station.

131. Protection of critical and sensitive areas.–Any critical and sensitive area around an aeronautical facility required to be protected for the operational efficiency of the equipment, shall be —

(a) clearly identified on the site drawings for the aeronautical facility;

(b) physically protected by suitable signposts at the site; and

(c) protected by aerodrome operator or holder of certificate, as appropriate, through barriers or otherwise to ensure that site restrictions are not infringed in any form.

132. Suspension, cancellation or withdrawal of a certificate.–(1) The Director-General may, by giving notice in writing to the holder of a certificate, impose any condition or suspend or cancel the certificate if there are reasonable grounds to believe that —

(a) there has been a breach of any condition to which the certificate is subject;

(b) the facilities, operations or maintenance are not of the standard necessary in the interests of the safety of air traffic services or air navigation.

(2) The Director-General shall give a show cause notice to the holder of certificate before suspending or cancelling a certificate stating —

(a) the facts and circumstances which justify the suspension or cancellation; and

(b) ask the holder of the certificate to submit explanation in writing, within thirty days from the date of receipt of the show cause notice.

(3) The Director-General shall, before taking a decision take into account all facts and pass an appropriate order.

(4) If the holder of a certificate wishes to surrender a certificate, the holder shall give not less than sixty days' notice in writing of the date on which the holder wishes the certificate to be surrendered.

3. Insertion of Schedule IV.–In the said rules, after Schedule III, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE IV

AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION

SECTION A

GENERAL REQUIREMENTS OF CERTIFICATION

1. Aeronautical facility requirements.–(i) An applicant for certification of a communication, navigation, surveillance or air traffic management facility to be established or used at an Aeronautical Telecommunication Station shall establish a procedure to ensure that—

(i) each facility intended to be included in the certificate of the applicant before commissioning —

(a) is designed and installed to meet the applicable operational specification specified for that facility;

(b) conforms with the applicable system characteristics and specification standards specified by the Director-General ;

(c) has been allocated a Radio Frequency Operating License in compliance with the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and rules made thereunder; and

(d) has been allocated an identification code or call sign.

(ii) each facility listed in the certificate of the applicant is installed with suitable power supplies and means to ensure continuity of operation appropriate to the needs of the air traffic service or radio navigation service being supported; and

(iii) an applicant for certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility to be established or used at an Aeronautical Telecommunication Station who intends to operate a temporary aeronautical facility to carry out site tests shall establish a procedure for conducting those tests.

2. Communication, navigation and surveillance manual.–The communication, navigations and surveillance manual in addition to any other relevant information shall contain the following information and particulars, namely **:–**

(a) General .– General information including purpose and scope of the manual, management and organisation structure of the holder of the certificate, legal requirement for certification of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility, conditions for the use of the certificate, availability of aeronautical information system for disseminating information regarding status of facility.

(b) Requirement of personnel .– (i) Appropriate details of proficient personnel to ensure each service listed in the certificate of the applicant in a safe, efficient, continuous and sustainable manner and the number of personnel required to maintain facilities shall be specified appropriately in the manual as per policy;

(ii) Procedure for employing or authorising proficient personnel, for maintenance and operation of the facility or to place into operational service any of the facility listed in the certificate which shall clearly specify the system to -

(a) assess the competence of proficient personnel;

(b) maintain the continued competence of proficient personnel; and

(c) scope of authorisation for proficient personnel.

(c) Standards of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility .– (i) Details of the technical standards relating to design, installation, commissioning and testing, operation and maintenance that are applicable to facility;

(ii) It shall also include any standard specified for such facility by the manufacturer;

(iii) Where compliance with a relevant standard is not achieved, the same shall be clearly indicated, and a statement of the reason for non-compliance and its impact on the service provided in terms of the performance of the facility and its impact on air traffic services and aircraft operation;

(d) Technical description of facility.–Basic performance descriptors (functional specification) for each of the communication, navigation, surveillance or air traffic management facility.

(e) Operation and maintenance plan.**–**Operation and maintenance plan for each of the communication, navigation, surveillance or air traffic management facility along with the documentation of the facility required by the manufacturer, relevant documentations by International Civil Aviation Organisation or documents developed or varied by the holder of certificate based on its knowledge of the performance and maintenance requirements of each facility.

(f) Safety management system.–Information on systematic and appropriate safety management system to ensure that safety is maintained in the provision of the communication, navigation, surveillance or air traffic management facility.

(g) Test equipments.–(i) Details of test and measuring equipments, including their calibration status, necessary for the operation, performance, inspection, and maintenance, of all of its facilities;

(ii) The facility operation and maintenance plan or the instructions of operating and maintenance for each facility shall specify the test equipment requirements for each level of operation and maintenance.

(h) Interruption to service.–Details of the procedure to be used if operation of communication, navigation, surveillance or air traffic management facility is interrupted.

(i) Procedures.– Procedure for conducting all the activities related to installation, operation, maintenance and other matters of communication, navigation and surveillance facilities clearly specifying the duties and responsibilities of each concerned.

(j) Procedure for change.–(i) The procedure for change to be made for a facility, its operation and maintenance plan.

(ii) The change of procedure shall establish an appropriate authority within the holder of the certificate organisation to assess and authorise any changes to operation and maintenance procedures and the procedures for removal and return of facilities to operational service and;

(iii) The logistics support of services and the amendment of relevant documentation including the operations manual.

(k) Document control.–The manual shall describe the document control process of the holder of service certificate concerning the requirements in this regard.

(l) Quality control.–For the use and guidance of personnel, the details of information concerning policies, procedure, practice and quality control method relating to provision of communication, navigation, surveillance or air traffic management facilities and activities of that organization.

(m) Security.–(i) The holder of certificate shall ensure that reasonable measures are made for the security of equipment and installation at aeronautical telecommunication stations.

(ii) The aeronautical telecommunication stations located outside the aerodrome shall also have provision of suitable security fencing.

4. Amendment of Schedule VI.— In Schedule VI, in Category IV, after S.No.22 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely:-

"22A.	For permitting or cause to be permitted any communication, navigation, surveillance or air traffic management equipment facility to be established or used without being certified by the Director-General.	Sub-rule(1) of rule 119
22B.	Violation of the provisions of sub-rule(2) of rule 125.	Sub-rule (2) of rule 125."

[AV.11012/5/2011-A]

ANIL SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note .–The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and was last amended by G.S.R. 64(E), dated the 3rd February, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd February, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.